परिपत्र संख्या 09/17

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, "पंजीयन भवन, लोहागल-जनाना अस्पताल रोड़ (सीकर रोड़)", राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:एफ.7(507)विविध/विधि/17/4584 दिनांकः 16.8.17

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
वित्त भवन, जयपुर
2. समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान।
3. समस्त उप पंजीयक,
(पूर्णकालीन एवं पदेन),
राजस्थान।

विषयः- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में न्यायिक प्रकरणों में Defect दूर किये जाने एवं Peremptory आदेशों की पालना के सम्बन्ध में।

न्यायालय प्रकरणों के प्रभावी कार्य सम्पादन एवं प्रबोधन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है :-

1. **न्यायालय में विभागीय/राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति-** कुछ प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से माननीय न्यायालय में अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लिया गया है। इस संदर्भ में सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि वे न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की पत्रावलियां वर्तमान में पैरवी कर रहे अधिवक्ता के पास नवीनतम तारीख पेशी व तथ्यात्मक सूचना सहित उपलब्ध करवायें और यदि पूर्व में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता किन्ही कारणों से वर्तमान में कार्यरत नहीं रह गये हों तो प्रकरण की पत्रावली वर्तमान में नवनियुक्त/कार्यरत अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी जावें। सभी न्यायालय प्रकरणों में सुनवाई तिथि पर राजकीय अधिवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति रहें।
2. **न्यायालय प्रकरणों की पत्रावलियों का समय-समय पर अद्यतन किया जावे-** न्यायालय प्रकरणों की पत्रावलियां विभाग/राजकीय अधिवक्ता/ प्रभारी अधिकारी के पास भी अपूर्ण होती है और न्यायालय कार्यवाही की नवीनतम स्थिति अभिलेख पर नहीं पायी जाती है जबकि समय के अन्तराल में प्रकरण में प्रगति होती रहती है, जिससे राजकीय अधिवक्ता को समय-समय पर अवगत नहीं करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में अनायास ही न्यायालय में प्रकरण सुनवाई हेतु लग जाने पर विषम स्थिति का सामना करना पडता है और अनावश्यक रूप से विभाग के विरूद्ध विपरीत निर्णय पारित हो जाते है। इस संदर्भ में प्रभारी अधिकारी स्वंय की पत्रावलियों का पुनर्विलोकन/ समीक्षा करके प्रत्येक पत्रावली पर नवीनतम अद्यतन स्थिति सहित परिपूर्ण तौर पर संधारित की जावें।
3. **Defect remove किया जावे** - विभिन्न प्रकरणों में राज्य द्वारा जो अपील/रिट/ रिवीजन आदि दायर की जाती हैं उनमें त्रुटियां छोड़ दी जाती हैं, जिनको न्यायालय द्वारा अनेक अवसर उपलब्ध करवाने के उपरान्त भी

दूर नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों को खारिज कर दिया जाता है और इसके उपरान्त दायर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी सारहीन होने के कारण खारिज हो जाते हैं। इससे राजकीय हित गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि जो प्रकरण न्यायालय में Defect में है उनके संदर्भ में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी तत्काल सम्बन्धित अधिवक्ता से सम्पर्क कर Defect को दूर करवाकर पालना रिर्पोट पेश करें।

4. **Per-empetory आदेशों की पालना में पीएफ एवं नोटिस प्रस्तुति सुनिश्चित की जावें**– माननीय न्यायालय द्वारा अनेक अवसर उपलब्ध करवाने के बावजूद भी प्रभारी अधिकारी द्वारा पीएफ एंव नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण खारिज कर दिये जाते हैं जो एक गम्भीर स्थिति है। अतः ऐसी प्रकरणों को चिन्हित किया जाकर Per-empetory आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें। इस संदर्भ में प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाते है कि वे अधिवक्तागण से सम्पर्क कर माननीय न्यायालय कें निर्देशों के अनुसार Per-empetory आदेशों की पालना में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

अतः सभी प्रभारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सात दिवस की अवधि में सुनिश्चित की जावें। किसी भी प्रकरण में अनावश्यक एवं अनुचित विलम्ब होता है तो सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

4/8/17

(डॉ0 राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(507)विविध/विधि/17/4585-5183 दिनांकः 16-08-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट पर igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
4. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर/राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
5. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय अजमेर।
7. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
8. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर